04/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष
अनु. प्रार्थी पत्र प्रतीतिग स्वीकार किया जाता
है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया।
नंबर से कट हो।

निर्णय सुनाया गया।

acms
2017/00295

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 93/2017

–: अनवान :–

1. अहसास } पुत्रीयां स्व. सतपाल उर्फ सत्यनारायण पुत्र सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र
2. खुशबु } जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ
3. पायल उम्र 11 वर्ष } पुत्रीयां स्व. सतपाल उर्फ सत्यनारायण नाबालिग
4. मुस्कान उम्र 09 वर्ष } जरिये कुदरती वली माता रामस्नेही पत्नी स्व. सतपाल
5. सोनम उम्र 07 वर्ष } उर्फ सत्यनारायण प्रार्थीया संख्या 06।
6. रामस्नेही पत्नी स्व. सतपाल उर्फ सत्यनारायण पुत्र सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान(मृतक):–
   1/1. सावित्रीदेवी पत्नी सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी सरदापुरा बीका
   1/2. शीलो पुत्री सोहनलाल (मृतक)
      1/2/1. उकेश पुत्र बलवन्त बेनीवाल } जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा
      1/2/2. एकता पुत्री बलवन्त बेनीवाल } बीका तहसील सूरतगढ़ ।
   1/3. निर्मला पुत्री सोहनलाल } जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बीका
   1/4. सुनीता पुत्री सोहनलाल } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   1/5. विमला पुत्री सोहनलाल } राज.।
   1/6. सुमन पुत्री सोहनलाल
2. देवीलाल पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजाराम } पि. लालू जाति बिश्नोई निवासी ढ़ाबा तहसील सूरतगढ़ जिला
4. रामस्वरूप } श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
6. उप–पंजीयक सूरतगढ़।

....अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री बाबुलाल चाण्डक्, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2/1, 1/2/2, 1/4, 1/5, 1/6
3. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

Signature Not Verified

दिनांकः– 04.12.2024

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:36 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली प्रस्तुत हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण स्व. सतपाल उर्फ सत्यनारायण की पुत्रीयां व पत्नी है व सतपाल उर्फ सत्यनारायण अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र का पुत्र है। इस प्रकार प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 अप्रार्थी न. 1 की पौत्रीयां तथा प्रार्थीया संख्या 6 अप्रार्थी न. 1 की पुत्रवधु है। अप्रार्थी न. 2 देवीलाल, अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र का पुत्र है। प्रार्थीगण के पिता/पति स्व. सतपाल उर्फ सत्यनारायण तथा अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः– 93/2017)

व अप्रार्थी न. 2 देवीलाल के नाम से पैतृक व संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि का विवरण इस प्रकार से हैं कि चक 5 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 75(65) जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के पत्थर नम्बर 47/279 मु.न. 35 किला नम्बर 15/0.126, 16 ता 25/2.530 में 2.656 हैक्टेयर मय खाला नहरी, पत्थर नम्बर 47/280 मु.न. 46 किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला व रास्ता कुल खाता 8.981 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता व खाला खातेदारी अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल व उसके भाई लालू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा यानि 4.490 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 22 एल.जी.डब्ल्यू. (बी) तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 87(64) जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के पत्थर नम्बर 41/289(30) किला नम्बर 11 ता 25 में 3.428 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल व राजाराम रामस्वरूप पि. लालू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार है जिसमें अप्रार्थी न. 1 के नाम से 1/2 हिस्सा यानि 1.714 हैक्टेयर नहरी मय खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। परन्तु अप्रार्थी न. 2 व 3 के नाम का रकबा भी अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल ने खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। किसी कारणवश राजस्व रिकार्ड में बैयनामा का अमलदरामद नहीं हो सका। चक 25 एल.जी.डब्ल्यू. (बी) तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 44(71)जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के पत्थर नम्बर 56/301 मु.न. 52 किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टेयर नहरी व अ.क.बारानी दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार है जिसमें अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल का 1/2 हिस्सा यानि 3.163 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के दादा व 6 के ससुर अप्रार्थी न. 1 ने अपने बड़े लड़के देवीलाल जो प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी न. 2 पर दर्ज है, के नाम से चक 25 एल.जी.डब्लयू.(ए) की 2.223 हैक्टेयर व चक 25 एल.जी.डब्ल्यू.(बी) में 0.930 हैक्टेयर व चक 23 एस.टी.बी. में 1.265 हैक्टेयर कुल 4.418 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड रकबा जैरप्रकरण पैतृक भूमि की आय से खरीद कर दिया था। उक्त वर्णित जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थी न. 1 के नाम से दर्ज चक 5 डी.बी.एन. की भूमि तथा चक 22 एल.जी.डब्ल्यू.बी की भूमि में से लगभग 3.10 बीघा भूमि पैतृक है तथा शेष भूमि व चक 25 एल.जी.डब्ल्यू.बी की 3.163 हैक्टेयर भूमि पैतृक भूमि की आय से निलामी में खरीद की गई होने से उक्त वर्णित समस्त भूमि पैतृक व संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि है जो परिवार के मुखिया होने के कारण अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल की पुत्रीयों की शादी अच्छे घरानो में की जा चुकी है तथा अपने ससुराल की सम्पति में हकदार हो गई है। प्रार्थीगण के पिता/पति सत्यनारायण तथा अप्रार्थी न. 1 व 2 ने मिलकर धूमधाम से खुब दान दहेज देकर उनकी शादियां सामाजिक रिति रिवाज अनुसार सम्पन्न करवा दी गई थी इसलिए जैरप्रकरण भूमि में उनका कोई हिस्सा शेष नहीं रहा तथा जैरप्रकरण भूमि में से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी न. 1 व 2 का तीनो का ही 1/3, 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपने 1/3 हिस्सा की घोषणा का वाद पत्र अदालत में प्रस्तुत किया है जो काबिल डिक्री के है। प्रार्थीगण के दादा/ससुर अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल पिछले 5 साल से मानसिक रोग से ग्रस्त है तथा काफी समय तक कोमा में भी रहे है। जिनका लम्बे समय से इलाज के बावजूद आज तक स्वस्थ नहीं हुए है। सोहनलाल को पिछले 5 वर्षो से कोई सुध बुध नहीं है तथा प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद में दिनांक 17.04.2020 को उनका स्वर्गवास हो जाने के कारण [illegible] को बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया जा चुका हैं। जैरप्रकरण भूमि [illegible] हैक्टेयर, मद 4(ख) में 3.428 हैक्टेयर, मद 4(ग) में 3.163 हैक्टेयर कुल [illegible] हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा 3.693 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत से 25 वर्ष पूर्व ही प्रार्थीगण के पिता/पति सतपाल उर्फ सत्यनारायण के जीवनकाल में ही घरू बंटवारा करते हुए 1/3 हिस्सा की 3.693 हैक्टेयर भूमि का कब्जा दे दिया था जिस पर प्रार्थीगण आज भी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:36 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकरण संख्याः– 93/2017)

में वर्णित भूमि जो प्रार्थीगण के दादा/ससुर अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल ने खरीद कर दी थी तब उन्होने अपने स्वर्गीय पुत्र सतपाल उर्फ सत्यनारायण जो प्रार्थीगण का पिता/पति है, को कहा था कि बड़े पुत्र देवीलाल के नाम जितनी भूमि खरीदकर दे रहा हूँ उतनी भूमि वह अपने नाम वाली भूमि में से उसके देकर हक बराबर कर देगा इसलिए अप्रार्थी न. 1 के नाम से जो पैतृक भूमि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 में 11.081 हैक्टेयर दर्ज है उसमें से 4.418 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण का हिस्सा निकाल देने के बाद में 6.663 हैक्टेयर रकबा अप्रार्थी न. 1 के हक में शेष रहता है उसमें फिर प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा अप्रार्थी न. 1 का व 1/3 हिस्सा अप्रार्थी न. 2 का कानूनी रूप से बनता है व इसी अनुसार वाद डिक्री किया जावे तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थीगण के पिता/पति एक पैर से अपाहिज थे व प्रार्थीया न. 06 भी अपाहिज व विधवा औरत एक कमजौर पक्षकार होने के कारण अप्रार्थी न. 1 व 2 ने काश्त की सुविधा के लिहाज से अप्रार्थी न. 2 देवीलाल के नाम की भूमि चक 25 एल.जी.डब्ल्यू. (ए) की 2.223 हैक्टेयर कमाण्ड व चक 25 एल.जी.डब्ल्यू. (बी) की 0.930 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि व संयुक्त खाते की अप्रार्थी न. 1 के नाम की चक 5 डी.बी.एन. की भूमि में 2.280 हैक्टेयर भूमि काश्त करने के लिए घरूली बंटवारा में वर्षो से दे रखी है व अब पानी लगा कर फसल सावणी काश्त की जा रही है जिसे छुड़ाने के लिए अप्रार्थी न. 2 व उनके साथ कुछ झगड़ालू किस्म के लोग जबरन कब्जा कर फसल नष्ट करने पर उतारू है। अप्रार्थी न. 1 की मानसिक स्थिति खराब होने के फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 जैरप्रकरण भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्सा की भूमि से मरहूम करने पर उतारू है। अप्रार्थी गण जैरप्रकरण भूमि को विक्रय, दान अथवा वसीयत के द्वारा हस्तान्तरण करने पर उतारू है। इसलिए प्रार्थीगण ने अपने हको की रक्षा के लिए अदालत की शरण ली है। प्रकरण प्रस्तुत करने से 10 रोज पूर्व दिनांक 22.05.2017 को प्रार्थीगण ने गांव सरदारपुरा बीका मे अप्रार्थी न. 1, 2 तथा अप्रार्थी न. 1 की पत्नी (प्रार्थीगण की दादी/सास) को कहा कि वो जैरप्रकरण भूमि में प्रार्थीगण के 1/3 हिस्सा की भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए सहमती के बयान दे दे तो अप्रार्थी गण स्पष्ट इन्कार हो गये तथा सरे आम धमकी देने लगे कि जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थी न. 1 के नाम से दर्ज है और अप्रार्थी न. 1 को अपनी सुध बुध नहीं है इसलिए हम अप्रार्थी न. 1 के अगुंठे लगवाकर जैरप्रकरण भूमि को खुर्द बुर्द कर देगें परन्तु प्रार्थीगण को एक इंच भूमि नही देगे। इस प्रकार की इन्कारी एवं धमकी ही वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य कारण है। प्रार्थीगण को यह भी अन्देशा है कि अप्रार्थी न. 1 की मानसिक स्थिति का फायदा उठा कर कुछ गलत नहीं करवा लिया है इसलिए प्रार्थीगण अपने हितो की रक्षा के लिए अदालत में आये है। प्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 नाबालिग लड़किया है इसलिए इनकी तरफ से जरिये कुदरती बली माता प्रार्थीया संख्या 6 ने इनके हितो की रक्षा हेतु वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया संख्या 6 भी विधवा व अपाहिज कमजोर पक्षकार है। जैरप्रकरण भूमि ही प्रार्थीगण के जीवनयापन का सहारा है अगर यही छिन गया तो प्रार्थीगण के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अप्रार्थीगण वाद पत्र के निर्णय से पूर्व ही प्रार्थीगण को घरूली बंटवारा में काश्त हेतु दी गई भूमि का कब्जा छुड़ाने पर उतारू है। प्रार्थीगण कमजोर नाबालिग व अपाहिज महिला पक्षकार है अतः अदालत से ही न्याय की उम्मीद है। वाद पत्र के निर्णय से पूर्व ही अगर कब्जा छुड़ा लिया गया तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा। वाद पत्र की बहुलता बढ़ जायेगी इसलिए वाद पत्र के निर्णय तक प्रार्थीगण अपना कब्जा सुरक्षित रखने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल स्वीकार्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद पत्र के निर्णय तक प्रार्थीगण को घरूली बंटवारा में काश्त हेतु दी गई जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थी न. 2 देवीलाल के नाम की चक 25 एल.जी.डब्ल्यू. (ए) की 2.223 हैक्टेयर कमाण्ड व चक 25 एल.जी.डब्ल्यू. (बी) की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या:– 93/2017)

0.930 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि व संयुक्त खाते की अप्रार्थी न. 1 के नाम की चक 5 डी.बी.एन. की भूमि में 2.280 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करे तथा अप्रार्थी न. 1 के नाम की कृषि भूमि वाके चक 5 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 75(65) जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के पत्थर नम्बर 47/279 मु.न. 35 किला नम्बर 15/0.126, 16 ता 25/2.530 में 2.656 हैक्टेयर मय खाला नहरी, पत्थर नम्बर 47/280 मु.न. 46 किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला व रास्ता कुल खाता 8.981 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता व खाला खातेदारी में से 1/2 हिस्सा यानि 4.490 हैक्टेयर तथा चक 22 एल.जी.डब्ल्यू. (बी) तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 87(64) जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के पत्थर नम्बर 41/289(30) किला नम्बर 11 ता 25 में 3.428 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी तथा चक 25 एल.जी.डब्ल्यू. (बी) तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 44(71)जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के पत्थर नम्बर 56/301 मु.न. 52 किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टेयर नहरी व अ.क.बारानी में से 1/2 हिस्सा यानि 3.163 हैक्टेयर भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये व दिनांक 02.06.2017 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जैरप्रकरण रकबा के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1/1, 1/2/1, 1/2/2, 1/4, 1/5, 1/6 की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र झुठे तथ्यों पर आधारित हैं। यह कहना बिल्कुल गलत हैं कि हमने अपने हिस्से का त्याग कर दिया था। प्रार्थना पत्र में मद संख्या 5 में दर्ज समस्त भूमि मेरे पति सोहनलाल के नाम से दर्ज हैं व उनकी मृत्यु उपरान्त कानूनन हम सभी वारिसों का हक व हिस्सा बनता हैं तथा हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया हैं उसमें प्रार्थीगण ने 1/3 हिस्सा की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं जो काबिल डिक्री के नहीं हैं चूंकि अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल की मृत्यु हो चुकी हैं एवं उनकी मृत्यु उपरान्त उनके सभी वारिसों को पक्षकार बनाया जा चुका हैं एवं हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत पिता की सम्पति में सभी वारिसों का बराबर बराबर का हक व हिस्सा होगा। अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल ने अपने जीवनकाल में कोई बंटवारा नहीं किया था प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई घरू बंटवारा वाद पत्र में पेश नहीं किया गया हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में दर्ज भूमि अप्रार्थी न. 2 देवीलाल की खरीदशुदा भूमि हैं। उक्त भूमि अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल ने खरीद कर दी हैं तो उसमें भी सोहनलाल के सभी वारिसों का हक व हिस्सा बनता हैं। इसलिए उक्त भूमि में सभी वारिसो का 1/8, 1/8 हिस्सा कानूनन बनता हैं व प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी न. 2 लगभग 10–12 वर्षो से अपने घर सरदारपुरा बीका में आया ही नहीं हैं वह साधु सन्तो के डेरे में रहता हैं, उक्त भूमि का कब्जा काश्त अप्रार्थी न. 2 देवीलाल के वारिसो का हैं। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय से झुठे तथ्यों के आधार एकतरफा स्थगन आदेश लिया गया हैं इस स्थगन की आड़ में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं एवं अप्रार्थीगण को अपने कानूनी हक से वंचित किया गया हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:36 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में दर्ज बिन्दुओं पर बहस करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 सोहनलाल के नाम से दर्ज जैरप्रकरण भूमि हैं। जैरप्रकरण भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति का 1/3 हिस्सा हैं उसमें से प्रार्थीगण के हिस्सा तक रहन बेचान नहीं किया जावे तथा इस अदालत द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.06.2017 को वाद पत्र के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने प्रार्थीगण के अभिभाषक के कथनो से इन्कार करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो को

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः– 93/2017)

दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थी न. 1 की हैं तथा उनके स्वर्गवास हो जाने से सभी वारिसान बराबर बराबर के हकदार है। अपने कथनो के समर्थन में कानूनी नजीर RRT 2011–12(SUPP) पेज 192 तथा RRT2002(1) पेज 429 पेश कर निवेदन किया कि सहखातेदार के विरूद्ध टी.आई. नहीं जारी की जा सकती हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों व संबंधित कानून का सम्मानपूर्वक अध्ययन व मनन किया। जमाबन्दी चित्रप्रति अनुसार जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैं। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पैतृक होने तथा प्रार्थीगण के पिता/पति के 1/3 हिस्सा में से अपना हिस्सा घोषित करने बाबत दावा प्रस्तुत किया हैं। जैरप्रकरण भूमि पैतृक हैं अथवा नहीं, प्रार्थीगण को जैरप्रकरण भूमि में हिस्सा मिलेगा अथवा नहीं, यह सब तो मूल वाद पत्र में साक्ष्य आने के बाद ही तय हो पायेगा। अप्रार्थी द्वारा यह इन्कार नहीं किया हैं कि भूमि पैतृक अथवा संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि नहीं हैं उनके द्वारा तो अपने हिस्सा की मांग की हैं। यह तथ्य मूल वाद पत्र में ही तय होगा कि प्रार्थीगण को कितना हिस्सा मिलेगा तथा अप्रार्थीगण को कितना हिस्सा मिलेगा। परन्तु मूल वाद पत्र के निर्णय से पूर्व जैरप्रकरण भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना हैं, इसलिए प्रार्थीगण के हिस्सा को सुरक्षित रखना उचित प्रतीत होता हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं चूंकि जमाबंदी अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदार नहीं दर्ज है। जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल के नाम ही रिकार्ड में दर्ज हैं। इसलिए प्रकरण की प्रकृति व साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए व न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाता हैं तथा इस अदालत द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 02.06.2017 को स्थायी किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि वे मूल वाद पत्र के निर्णय तक जैरप्रकरण भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 5 डी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 47/279(35), 47/280(46)= 8.981 हैक्टेयर में से अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल के 1/2 हिस्सा, चक 22 एल.जी.डब्ल्यू. बी. के पत्थर नम्बर 41/289(30) = 3.428 हैक्टेयर में अप्रार्थी न. 1 सोहनलाल का 1/2 हिस्सा, चक 25 एल.जी.डब्ल्यू. बी के पत्थर नम्बर 56/301(52) में 6.325 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी न. 2 देवीलाल के नाम चक 25 एल.जी.डब्ल्यू.(ए) के पत्थर नम्बर 53/292(11), 53/293(21), 54/293(22) में 2.223 हैक्टेयर, चक 25 एल.जी.डब्ल्यू.(बी) के पत्थर नम्बर 54/301(54) में 0.930 हैक्टेयर, चक 23 एस.टी.बी. के पत्थर नम्बर 56/307(86), 57/308(88) में 1.265 हैक्टेयर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 .को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:36 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़